

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

(अति आवश्यक)

माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण

क्र. 12727 /22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/टी-3/15

भोपाल, दिनांक 2 / 07 /2015

प्रति,

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई.....


विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के संबंध में जानकारी।

—00—

अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग की अध्यक्षता में प्रदेश का रोड सेफ्टी प्लान तैयार किये जाने के लिए क्रियान्वयन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों में रोड सेफ्टी के संबंध में किए गये कार्य की जानकारी भेजा जाना है।

अतः पत्र के साथ संलग्न फार्मेट में जानकारी दिनांक 03/07/2015 तक ( दोपहर 12 बजे तक) अनिवार्यतः ई-मेल [rrdaroadsafety@gmail.com](mailto:rrdaroadsafety@gmail.com) पर प्रेषित की जाए। साथ ही यदि पीआईयू के अंतर्गत सभी मार्गों की जानकारी तत्काल भेजना संभव न हो सके, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुये पी.आई.यू. के अंतर्गत आ रहे किन्ही 5 पैकेजों के मार्गों की जानकारी तत्काल समयावधि दिनांक 03/07/2015 तक (दोपहर 12 बजे तक) में भेजी जावें। ऐसी स्थिति में शेष अन्य पैकेज से संबंधित जानकारी संलग्न फार्मेट में ही दिनांक 10/07/2015 तक ई-मेल [rrdaroadsafety@gmail.com](mailto:rrdaroadsafety@gmail.com) अनिवार्यतः प्रेषित करें।

संलग्न : फार्मेट -1 नम्बर।



(एम.के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, भोपाल


क्र. 12728 /22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/टी-3/15

भोपाल, दिनांक 2 / 07 /2015

प्रतिलिपि :

1. समस्त मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल/ जबलपुर/इंदौर/रीवा, कृपया अपने अधिनस्थ पी.आई.यू. को जानकारी निर्धारित अवधि में भेजने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. महाप्रबंधक-तक. (समस्त) म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न : फार्मेट -1 नम्बर।



प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, भोपाल